कुमाऊँ में बाल श्रम : समस्या एवं समाधान

नमूना • SAMPLE

नमूना • SAMPLE

कुमाऊँ में बाल श्रम
समस्या एवं समाधान

रश्मि आर्या

नमूना • SAMPLE

AKHAND
अखंड पब्लिशिंग हाउस
दिल्ली-110094

प्रकाशक :

अखंड पब्लिशिंग हाउस

एल-9 ए, Ist फ्लोर, गली नं. 42,

सादतपुर एक्सटेंशन, दिल्ली-110094

मो. : 09013587535, 09968628081

E-mail : akhandpublishing@yahoo.com

© लेखिका

प्रथम संस्करण : 2017

आइएसबीएन 978-93-81416-22-8

नमूना • SAMPLE

भारत म. मुद्रित

अखंड पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली एल-9 ए, Ist फ्लोर, गली नं. 42, सादतपुर एक्सटेंशन, दिल्ली-110094 द्वारा प्रकाशित। वैष्णवी कम्पयूटर्स, दिल्ली-110093 द्वारा शब्दांकित, तरुण आफसेट प्रिंट्र्स, दिल्ली में मुद्रित।



पूज्य माता पिता
को
समर्पित

नमूना • SAMPLE

आभार

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के रचनाकाल में मुझे जिन विभिन्न स्रोतों से सहायता, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, सहयोग एवं परामर्श मिला है, उनको निमित्त धन्यवाद करना मेरा पुनीत कर्तव्य है।

पूजनीय गुरुदेव डॉ. पदम एस. बिष्ट, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, डी.एस. बी. परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के निर्देशन में शोध-कार्य प्रारम्भ हुआ तथा पूर्णता को प्राप्त हुआ। गुरुदेव का आभार व्यक्त करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष एवं हृदय हो रहा है जो शोध निर्देशक के रूप में ही नहीं वरन् मेरे जीवन में भी महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनके निरन्तर उत्साहवर्धन से ही आज मैं अपने इस पुनीत कार्य को सम्पन्न कर सकी हूँ, उनके इस आत्मीयतापूर्ण व्यवहार के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। गुरुदेव को मेरा शत्-शत् प्रणाम।

मैं डी.एस.बी॰ परिसर, नैनीताल को नमन करती हूँ तथा वहाँ के समस्त गुरुजन वर्ग का आभार व्यक्त करती हूँ, जहाँ मुझे शोध करने के लिए निरन्तर प्रेरणा प्रदान की गुरुवर प्रोफेसर एल.एस. बिष्ट, डॉ. निर्मला बोरा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर आर.एस. जलाल, प्रोफेसर रजनीश पाण्डेय, डॉ. एम.सी. पंत, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर डॉ. एन.एस. बिष्ट (संविदा) तथा डॉ. जितेन्द्र लोहनी (संविदा), डी.एस.बी. परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के प्रति कृतज्ञ हूँ, जिनके सहयोग से शोध कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हुआ।

इसके अतिरिक्त डी.एस.बी. परिसर, नैनीताल एवं केन्द्रीय पुस्तकालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग प्राप्त हुआ, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करती हूँ।

मैं अपने परिजनों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। पूजनीय माता श्रीमती देवकी देवी एवं पिताजी श्री महेश प्रकाश जी जिन्होंने अपने अथक प्रयास से मुझे शोध-कार्य

SAMPLE

करने के लिए उत्साहित किया। मेरी माता मेरी प्रेरणास्रोत हैं, उनकी मेहनत से ही मेरा यह शोध कार्य पूर्ण हुआ है, उन्होने हर समय, हर कदम पर मेरा साथ दिया। मेरे लिए इनके द्वारा किया गया त्याग स्मरणीय है। मैं इन्हें शत्-शत् नमन करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनका साथ एवं आशीर्वाद सदैव मेरे साथ बना रहे, और मेरी छोटी बहनें शीतल, पूनम, बबीता एवं मेरे छोटे भाई सनी और सागर को मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरे इस कार्य को पूर्ण करने में मेरा सहयोग दिया। अपनी बहिन पूनम का तहेदिल से आभार प्रकट करती हूँ जिसने सबसे ज्यादा सहयोग दिया मेरा शोध कार्य पूर्ण करने में। मेरी बहिन शीतल और उनके पति श्री नवीन चन्दा (एडवोकेड) का भी मै धन्यवाद देती हूँ । मेरी बुआ जी कु. चन्द्रकान्ता का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ और साथ ही मेरे मित्र जे.इ. श्री नरेन्द्र कुमार का भी मैं धन्यवाद देती हूँ जिनके सहयोग से मेरा शोध कार्य पूर्ण हुआ और इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहें, यही कामना करती हूँ।

–रश्मि आर्या

अनुक्रम

	प्रस्तावना	13
1.	कुमाऊँ का सामान्य परिचय	17
2.	नैनीताल का परिचय	40
3.	शोध प्रविधि	79
4.	भारत में बाल मजदूर	87
5.	जनपद नैनीताल में प्रमुख बाल श्रमिक कार्यरत उद्योग	115
6.	कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधान	133
7.	भारत में बाल श्रमिक उन्मूलन कार्यक्रम (स्वतंत्रता से अद्यतन)	171
8.	जनपद नैनीताल में बाल श्रमिकों का प्राथमिक स्तर पर अध्ययन	207
9.	निष्कर्ष एवं सुझाव	249
	संदर्भ ग्रन्थ	259

नमूना SAMPLE

नमूना • SAMPLE

दो शब्द

बच्चे किसी भी देश के भविष्य होते है। जिस देश के बच्चे जितने अधिक शिक्षित होगें वह देश सदा प्रगति के राह पर आगे बढ़ता रहेगा। परन्तु जब देश के बच्चे जिन पर देश का भविष्य निर्भर करता है बचपन में ही स्कूल जाने के बजाए विभिन्न कार्यों पर परिवार के भरण पोषण के लिए कठिन-कठिन कार्यों पर कार्य करने जाते है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस देश का भविष्य कैसा होगा? आज देश के कोने-कोने में बाल श्रमिकों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है क्योंकि गरीबी की बीमारी ने उनके परिवारों को जकड़ा हुआ है। इन गरीब असहाय बाल श्रमिकों के उत्थान के लिए यद्यपि सरकारों द्वारा समय-समय पर विभिन्न कानूनों को बनाया गया है। परन्तु वे लागू नहीं हो पा रहे है क्योंकि सरकार ने जवाब देही निर्धारित नहीं की है। बाल श्रामिकों के उत्थान के लिए श्री सत्यार्थी जी को नोबल पुरुस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ मण्डल में भी बड़ी संख्या में बाल श्रमिक कार्यरत है। शोधार्थिनी द्वारा अपने शोध के दौरान मुख्यरूप से होटलों, रेस्टोरेन्ट, दुकानों, घरों, सिनेमाघरों, घोड़ा चालक, रिक्शा, नाव, कूड़ा बीनना, बोझा ढोना, खनन व्यवसाय, निर्माण कार्य, कृषि, लीसा फेक्टरी इत्यादि मे बड़ी संख्या में बाल श्रमिक देखने को मिले। बालश्रामिकों से सम्पर्क करके शोधार्थिनी द्वारा अपने शोध कार्य में काफी समस्याओं को उजागर किया है। उन कानूनों को भी शोधार्थिनी डॉ. रश्मि आर्या द्वारा बतलाया गया है जिन्हें समय-समय पर सरकारों द्वारा बताया गया है तथा उनके लागू के लिए क्रियान्वयन हुआ या नहीं इसे भी अपने शोध कार्य में उजागर किया है। डॉ. रश्मि आर्या ने मेरे निर्देशन में बालश्रम पर काफी उच्च कोटी का कार्य किया है तथा यह बतलाया गया है कि कुमाऊँ मण्डल में विशेषकर जनपद नैनीताल में काफी अधिक संख्या में बाल श्रमिक विभिन्न नियोजनों मे कार्यरत है। इसी समस्याओं के समाधान के लिए काफी

महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रस्तुत किए है जिन्हें यदि सरकार लागू करें तो काफी हद तक सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। डॉ. रश्मि आर्या ने उच्च कोटी का शोध कार्य किया है।

प्रो. पदम एस. बिष्ट
प्राध्यापक
अर्थशास्त्र विभाग
कुमाऊँ विश्वविद्याालय
डी.एस.बी. परिसर, नैनीताल
उत्तराखण्ड

नमूना • SAMPLE

प्रस्तावना

प्रस्तुत पुस्तक कमाऊँ में बाल श्रम : एवं समाधान हैं। जिसमें बाल श्रमिकों के विभिन्न पक्षों-सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एंव राजनैतिक और आधुनिक व्यवहार प्रतिमानो व मूल्यों के सम्बन्ध में अभिवृत्ति व व्यवहार को समझना है। प्रस्तुत पुस्तक को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए 9 अध्यायों में विभक्त किया गया हैं।

कार्यरत बाल श्रमिकों की संख्या जनपद नैनीताल में सर्वाधिक होटल मोटर गैराजों में कार्यरत, घरेलू नौकर कार्यों, होटलों, ढांबों, रेस्टोरेन्टों, टॉफी, बेकरी में काम करना, थैलिया बनाने, जूता-पॉलिश करने, तथा कूड़े-करकट बिनने वाले, दुकानों में काम करने वाले, आवास निर्माण फर्नीचर कुली इत्यादि स्थलों पर बाल श्रमिक कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं।

बाल श्रम का इतिहास काफी पुराना है। प्राचीन समय में, जब समाज का ढांचा साधारण था, तथा रोजगार पूरी तरह जाति एवं संयुक्त परिवार पर आधारित था। बच्चों का काम से जुड़ना उनके लिए सकारात्मक था, क्योंकि उनका यह कार्य अनुभव भविष्य में उनके रोजगार की नींव होता था तथा इस कार्य के लिए उनका शोषण व उनको प्रताड़ित नहीं किया जाता था। यह कार्य वह परिवार के अनुभवी व्यक्तियों की देख रेख में सीखते थे समाजीकरण की इस प्रक्रिया में उनका विकास बिना किसी शोषण के होता था तथा वे अपने वयस्क जीवन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते थे।

आज के परिपेक्ष्य में बाल श्रम किसी भी राष्ट्र के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है। बच्चे जो कि भावी समाज की नींव होते है, उनका समय से पहले ही श्रमिक बन जाना उनके शारीरिक व मानसिक विकास को बाधित कर देता है। क्योंकि आज के समय में बाल श्रमिकों का जिस तरह से शोषण किया जाता है, और उन्हें प्रताड़ित

SAMPLE

किया जाता है यह निश्चित ही किसी देश व उनके समाज के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है।

बाल श्रम के सम्बन्ध में बड़े लम्बे समय से बहस व चर्चायें होती आ रही है लेकिन इस समाजिक-आर्थिक दुराचार पर शायद ही किसी समाज का रवैया संवेदनार्पूण रहा है। जो कुछ भी सोचा जा रहा है, वह पर्याप्त एंव प्रभावशाली नहीं है और यह समस्या दिनों-दिन अपने विभिन्न रूपों में निरन्तर बढ़ती ही जा रही हैं। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) ने आधी शताब्दी के सोच विचार के बाद 1973 में रोजगार की न्यूनतम आयु का अन्तर्राष्ट्रीय मानक स्थापित किया था लेकिन फिर भी बाल श्रम का प्रचलन जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ बढ़ता ही जा रहा है।

बाल श्रमिक दो प्रकार के होते हैं–एक तो वे जो बंधक मजदूर है और अपने माता पिता द्वारा लिए गये कर्ज को चुकाने के लिए काम कर रहे है, दूसरे वे जो स्वंय लाचारीवंश अथवा परिवार की गरीबी के कारण अपने माता-पिता द्वारा जीविकोर्पाजन के काम में लगा दिये गये है।

भारत में बाल श्रम कि समस्या के पीछे मुख्य कारण देश की गरीबी हैं। गरीब परिवारों के बच्चों को अपने परिवार का अस्तित्व बनाए रखने के लिऐ छोटी-सी उम्र में ही बचपन छोड़ कर काम करना पड़ता है। दूसरी ओर बाल श्रम को प्रोत्साहित करने के पीछे उद्योगपतियों और व्यवसायियों का लालच छिपा रहता है, जिसकी आड़ में वे उनकी विवशता का लाभ उठा कर सस्ता श्रम प्राप्त कर लेते है। उनकी इस मानसिकता के चलते ये गरीब परिवार गरीबी के चुंगल से कभी निकल नहीं पाते और यह चक्र चलता ही रहता है। दरअसल परिस्थितियां ही ऐसी है, चाहे जितने भी कानून बना दिए जाए, सफलता हाथ नहीं लगती।

ऐसे अनेक जोखिम पूर्ण व्यवसाय है जिनमें बाल श्रमिक कार्यरत हैं। जैसे-ग्लास फैक्ट्री कार्य, पटाखे बनाने, रंग रोगन, सालवेंट जैसे अन्य रसायनों से सम्बन्धित उद्योगो में कार्य, कालीन बुनना, पत्थर तोड़ना, बीड़ी उद्योग, कृषि कार्य, माचिस उद्योग, ताला उद्योग, तथा मोटर वर्कशॉप इत्याादि। इनमें से कई व्यवसाय जोखिम भरे है। ऐसे व्यवसाय जिनमें कार्य सम्बन्धी आंतरिक जोखिम नहीं है, वहाँ भी कार्य के लम्बे घंटे उनके शारीरिक एंव मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं।

बाल श्रमिकों को उनका अधिकार दिलाने तथा उन्हें शोषण से मुक्त करने के लिऐ और अधिक संगठित प्रयास की आवश्यकता है विशेषकर वहाँ जहाँ बाल श्रमिकों पर आम जनता की नजर नहीं पड़ती। इन बच्चों से ज्यादा काम लिया जाता है और इन्हें कम मजदूरी दी जाती है। खासकर घरेलू नौकरों के रूप में, अप्रशिक्षित

श्रम के रूप में और अनेकों कम निवेश और शीघ्र लाभ वाले उद्यमों में जैसे–ईंट बनाने का काम, कालीन बुनने का काम, सिले हुए कपड़ों का काम, माचिस, कीमती पत्थरों का काम, ताले, मोटर वर्कशॉप, प्रिंटिंग आदि का काम। इसके अलावा सड़कों पर सामान बेचना, होटलों में बर्तन साफ करना, जूता पॉलिश करना और इसी प्रकार के अन्य शारिरिक श्रम संबंधी कार्य।

नमूना • SAMPLE